अति महत्वपूर्ण/तुरन्त

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या– C- 396 /निदे0म0क0/प्रोबे0–76/2012–13,लखनऊ : दिनांक : 22, जून, 2012

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) की धारा– 34 (3) के अन्तर्गत पंजीकृत कराये जाने के संबंध में।

निदेशालय पत्र संख्या– सी– 335/निदे0म0क0/प्रोबे0–76/पंजीकरण/2012–13, दिनांक 11 जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जो जिलाधिकारी को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा जनपदों में स्वैच्छिक संगठनों, धर्मार्थ संगठनों एवं ट्रस्टों के माध्यम से चलाए जाने वाले संस्थाओं में बच्चों के शोषण होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसकी रोकथाम तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत ऐसे संचालित गृहों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) की धारा– 34 (3) के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे। अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था दी गयी है–

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संस्थाएं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए चलाई जाती है, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।"

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदों में जिला प्रोबेशन अधिकारियों, मण्डल स्तर पर उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं संस्थागत सेवाओं के लिए अधीक्षक/सहायक अधीक्षक का है। संशोधित अधिनियम 2007 से लागू है, परन्तु अभी तक जनपदों में उपरोक्त प्रकार की संस्थायें अनियमित रूप से बिना पंजीकरण के संचालित हैं, जिसमें आवासित किशोरों / किशोरियों / शिशुओं का निरूद्धन विधि के विरूद्ध है। आपके द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन शिथिलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के नियम विरूद्ध कार्य हो रहे हैं तथा संस्थाओं में बच्चों के शोषण की आए दिन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पंजीकरण प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों को संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है कि संबंधित संस्थाओं से आवेदन पत्र भरवाकर निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत जनपदों में संचालित समस्त संस्थाओं का आयु वर्ग एवं लिंग के आधार पर निरीक्षण/सत्यापन के उपरान्त अपनी अनुशंसा/प्रतिवेदन के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) की धारा– 34 (3) के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। जनपदों में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं/बालक/बालिकाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों/धर्मार्थ संस्थाओं/ट्रस्टों के द्वारा संचालित आवासीय संस्थाओं (बाल गृह अथवा अनाथालय) के पंजीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से

माह अगस्त, 2012 तक पूर्ण कर लिया जाना है। निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में अधिनियम के विरूद्ध कार्य करने तथा विधि के विरूद्ध बच्चों को निरूद्ध रखने को संज्ञान में न लेने का दोषी मानते हुए आपको प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु शासन को अनुशंसा प्रेषित कर दी जाएगी।

संलग्नक– यथोक्त।

(शिव श्याम मिश्र)
निदेशक।

पृष्ठांकन एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(ए0 के0 मिश्र)
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।